

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTEE-EXTRAORDINARY)
GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
TRANSPORT DEPARTMENT
5/9, UNDER HILL ROAD, DELHI - 110054

No.F. 19(69)/Tpt./Sectt. /08/4984

Dated the 8th Dec. 2010

NOTIFICATION

No.F.19/(69)/Tpt./Sectt. /08/ . - In exercise of the powers conferred by section 115 and clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act 1988 (59 of 1988), read with this Government's notification no. F. 19(70)/Tpt./Sectt./08/418, dated the 5th May, 2008, the Commissioner Transport, Government of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the interest of public safety and convenience of the general public to regulate movement of traffic, prohibits the driving of all motor vehicles except authorized Stage Carriage Buses (DTC and Private) on the Bus Rapid Transit Corridor on Dr. Ambedkar Road, Lal Bahadur Shastri Road and J. B. Tito Road, from Dr. Ambedkar Nagar to Moolchand Hospital .Whoever contravenes the above prohibitional restrictions, shall be punished in accordance with the provisions of section 194 of the Act .

The above mentioned prohibition/restrictions shall not be applicable during emergent situations to the motor vehicles of Delhi Police, Ambulances, Fire Brigade and other Emergency Service Vehicles, when proceeding on emergency duties.

By order,



R.K. Verma

Pr. Secretary cum Commissioner (Tpt)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(परिवहन विभाग)
5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली-110 054.

दिनांक: 8^{मं} दिस. 2010


सं.फा. 19 (69) / परि०/सचि०/2008/4984

अधिसूचना

सं.फा. 19(69)/परि०/सचि०/2010/ - इस सरकार की दिनांक 05 मई 2008 की अधिसूचना सं० फा० 19/70/परि०सचि०/08/418 के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा तथा धारा 2 के खंड (41) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त परिवहन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संतुष्ट होने पर कि यातायात के आवागमन को विनियमित करने के लिये जनसुरक्षा तथा जन साधारण की सुविधा के हित में अम्बेडकर नगर से मूल चन्द अस्पताल तक डॉ० अम्बेडकर रोड लाल बहादुर शास्त्री रोड तथा जे०बी० टी० रोड पर बस रेपिड ट्रांजिस्ट कोरिडोर पर प्राधिकृत स्टेज कैरिज बसों (दिल्ली परिवहन निगम एवं निजी) को छोड़कर सभी प्रकार मोटर वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। जो कोई उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करता है वह अधिनियम की धारा 194 के उपबंधों के अनुसार दण्डित किया जाएगा।

उक्त उल्लिखित प्रतिबंध/निषेध दिल्ली पुलिस के मोटर वाहन, रोगी वाहनों अग्निशमन दल(ब्रिगेड) और अन्य आपातक सेवा वाहनों पर आपातक स्थितियों में लागू नहीं होगा, जब आपातक कार्यों पर जा रहा हो।

आदेश से,

(
(अरुण कुमार वर्मा)
प्रधान सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)